

विविध वाद संख्या-1106/2017
श्रीमती सुन्दरी..... बनामश्रीमती राजवती आदि
धारा-12 घरेलू हिंसा अधिनियम
थाना विजयनगर।

13-09-2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी।

बार बार पुकार पर परिवादिनी श्रीमती सुन्दरी अनुपस्थित है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी श्रीमती सुन्दरी द्वारा विपक्षीगण श्रीमती राजवती आदि के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद योजित किया गया था। परिवादिनी काफी समय से उक्त प्रकरण में उपस्थित नहीं आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी उक्त परिवाद को चलाना नहीं चाहती है। इन परिस्थितियों में परिवादिनी श्रीमती सुन्दरी की तरफ से प्रस्तुत परिवाद बल के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी श्रीमती सुन्दरी की तरफ से प्रस्तुत परिवाद बल के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0-2, गाजियाबाद।